



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 790

दर्ज तिथि:-01.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रार्थी

बनाम

1. मंदिर श्री रामदेवजी बांके ग्राम पालियाली तहसील गुड़ामालानी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956


—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 1.4083 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का पालियाली तहसील गुड़ामालानी में से मौके पर चालू कदीमी रास्ते रकबा 0.0728 है0 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। है। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।
2. प्रकरण में ग्राम पंचायत पालियाली की ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव सं. 02 द्वारा ग्राम पालियाली से गादेश्वरी जाने वाली सड़क खसरा संख्या 78 मौजा गांधव कला में से मौके पर चल रहे रास्ता रकबा 0.0728 है0 को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने पर सहमति अनुमोदन किया गया।
3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।



4. प्रकरण में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का सेटेलाईट नक्शा इस प्रकार है:-



5. प्रकरण में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का दिनांक 22 मार्च 2016 का सेटेलाईट नक्शा इस प्रकार है:-



6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957

के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में खसरा संख्या 78 रकबा 1.4083 है० किस्म बा०सो० मौजा गांधव कला पटवार हल्का पालियाली तहसील गुड़ामालानी में से मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते रकबा 0.0728 है० को प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 78 रकबा 1.4083 है० किस्म बा०सो० मौजा गांधव कला पटवार हल्का पालियाली तहसील गुड़ामालानी में से मौके पर चालू कदीमी रास्ते रकबा 0.0728 है० का राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी